



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241309
CG-DL-E-23122022-241309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5780]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2022/पौष 30, 1944

No. 5780]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022/PAUSA 1, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6022(अ).—केंद्रीय सरकार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 5 और धारा 7 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का. आ.2283(अ), तारीख 25 जुलाई, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, चयन समिति की सिफारिशों पर, भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण में पदेन सदस्यों से भिन्न निम्नलिखित अंशकालिक सदस्यों की उस तारीख से जिसको वे पदधारण करते हैं तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति करती है और उक्त योजन के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विसूचना संख्यांक का 2165(अ), तारीख 5 सितंबर, 2008 का संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) क्रम संख्या 1 में प्रविष्टि 'श्री पी.आई. सुवरतन' के स्थान को 'रिक्त' रखा जाएगा।

(ii) "धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत नियुक्त" शीर्ष के अधीन क्रमांक 9 और 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

(9)	सुश्री श्रेया पांडे, पेप्सी कंपनी इंडिया, वैज्ञानिक और विनियामक मामले में सह निदेशक, खाद्य सुरक्षा, और पूर्व	-सदस्य;
-----	---	---------

	अंशकालिक सदस्य, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण	
(10)	सुश्री स्वाति रवींद्र पराडकर, अध्यक्ष, श्री महिला गृह उद्योग, लिज्जत पापड़ (लघु खाद्य उद्योग की श्रेणी के अधीन)	-सदस्य;

(ii) "धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त" शीर्ष के अधीन क्रमांक 11 और 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(11)	रिक्त	-सदस्य;
(12)	रिक्त	-सदस्य;";

(iii) "धारा 5 की उप-धारा (1) की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त" शीर्ष के अधीन क्रमांक 13 से 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(13)	डॉ. हेमलता आर., निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद	-सदस्य;
(14)	डॉ. श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह, निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर	-सदस्य;
(15)	रिक्त	-सदस्य;

(iv) "धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त" शीर्ष के अधीन क्रमांक 16 से 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

(16)	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोवा सरकार	-सदस्य;
(17)	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार	-सदस्य;
(18)	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार	-सदस्य;
(19)	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, असम सरकार	-सदस्य;
(20)	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, चंडीगढ़ सरकार	-सदस्य;";

(v) "धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्त" शीर्ष के अधीन, क्रमांक 21 और 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(21)	श्री प्रमोद कुमार चौधरी, सदस्य, भारतीय किसान संघ।	-सदस्य;
(22)	श्री कंवल सिंह चौहान, किसान, हरियाणा।	-सदस्य;";

(vi) "धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन नियुक्त" शीर्ष के अधीन, क्रमांक 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(23)	श्री बी.एस. नागेश, संस्थापक, ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएट्स ऑफ इंडिया	-सदस्य।”
-------	---	----------

[फा. सं. पी.15025/309/2015-एफआर]

डॉ. मंदीप के. भंडारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या अ.आ.2165(अ.), दिनांक 5 सितंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2022

S.O. 6022(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with sections 5 and 7 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), and in supersession of the notification number S.O.2283(E), dated the 25th July, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendations of the Selection Committee, hereby appoints the following part-time Members other than *ex-officio* Members in the Food Safety and Standards Authority of India for a period of three years with effect from the date on which they enter upon their office, or until further orders, whichever is earlier, and for the said purpose amends the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O.2165(E), dated the 5th September, 2008, namely:—

In the said notification,—

(i) In serial number 1 the entry ‘Shri P.I. Suvrathan’ shall be substituted by ‘Vacant’.

(ii) under the heading “Appointed under clause (b) of sub-section (1) of Section 5”, for serial numbers 9 and 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(9)	Ms. Shreya Pandey, Associate Director, Food Safety, Scientific and Regulatory Affairs in Pepsi Co. India and former part-time Member, Food Safety and Standards Authority of India	-Member;
(10)	Ms. Swati Ravindra Paradkar, President, Shri Mahila Griha Udyog, Lijat Papad (under the category of Small Scale Food Industry)	-Member;”;

(iii) under the heading “Appointed under clause (c) of sub-section (1) of Section 5”, for serial numbers 11 and 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(11)	Vacant	-Member;
(12)	Vacant	-Member;”;

(iv) under the heading “Appointed under clause (d) of sub-section (1) of Section 5”, for serial numbers 13 to 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(13)	Dr. Hemalatha R., Director, National Institute of Nutrition, Hyderabad	-Member;
(14)	Dr. Sridevi Annapurna Singh, Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore	-Member;
(15)	Vacant	-Member;”;

(v) under the heading “Appointed under clause (e) of sub-section (1) of Section 5”, for serial numbers 16 to 20 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(16)	Commissioner of Food Safety, Government of Goa	-Member;
(17)	Commissioner of Food Safety, Government of Himachal Pradesh	-Member;
(18)	Commissioner of Food Safety, Government of Chhattisgarh	-Member;
(19)	Commissioner of Food Safety, Government of Assam	-Member;
(20)	Commissioner of Food Safety, Government of Chandigarh	-Member;”;

(vi) under the heading “Appointed under clause (f) of sub-section (1) of Section 5”, for serial numbers 21 and 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(21)	Shri Pramod Kumar Choudhary, Member, Bhartiya Kisan Sangh.	-Member;
(22)	Shri Kanwal Singh Chauhan, Farmer, Haryana.	-Member;”;

(vii) under the heading “Appointed under clause (g) of sub-section (1) of Section 5”, for serial number 23 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(23)	Shri B.S. Nagesh, Founder, Trust for Retailers and Retail Associates of India	-Member.”.
-------	--	------------

[F. No. P.15025/309/2015-FR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O.2165(E), dated the 5th September, 2008.